

19/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी छप  
वादी द्वारा प्राथमिक पत्र को आगे  
नहीं चलाने का वक्त NOT प्रेस  
किया। अतः वाद वादी NOT  
प्रेस में रखी स्तर पर खारिज  
की जाती है। पत्रावली नम्बर से  
कम घेकर दफतर दाखिल की  
जाती है।

